

(3) **मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना**  
**Mukhya Mantri Kanyadan Yojna**

उद्देश्य	बेसहारा महिलाओं/लड़कियों को शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
पात्रता	बेसहारा लड़कियों जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो या <u>शारीरिक/मानसिक असमर्थता के कारण अपनी अजीविका कमाने में असमर्थ होने के कारण बिस्तर पर हो या परित्यक्त/तलाकशुदा</u> महिलाओं की पुत्रियां, जिनके संरक्षकों की वार्षिक आय 15000/—रु० से अधिक न हो।
सहायता	11001/—रु० की वित्तीय सहायता।
प्रक्रिया	इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित तहसील दार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र सहित आवेदन कर सकती है।
सम्पर्क अधिकारी	जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।